मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

(रु. 10 लाख से 1.00 करोड़ तक की परियोजना हेतु आवेदन–पत्र)

स्वप्रमाणित

फोटो

1	**आवेदक का पूरा नाम**	
2	**पिता/पति का नाम**	
3	**अ. निवास स्थान एवं पत्राचार पूर्ण पता**	
	ब. दूरभाष/मोबाईल नम्बर	
	स. प्रस्तावित इकाई स्थल का पता	
	द. इकाई का दूरभाष/मोबाईल नम्बर	
4	**शैक्षणिक योग्यता** (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	
5	**अ. जन्म तिथि** (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	
	ब. आवेदन दिनांक को उम्र	वर्ष.....माह.....दिन.....
6	**अ. आवेदक की श्रेणी** (अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व. /अल्पसंख्यक/ निःशक्तजन)	
	ब. लिंग (पुरूष/महिला)	
7	**अ. प्रस्तावित गतिविधि का नाम** (परियोजना प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करे)	
	ब. परियोजना का प्रकार (विनिर्माण इकाई/सेवा इकाई)	
8	**अ. परियोजना लागत** (i) भूमि/भवन (ii) मशीन/उपकरण/साज–सज्जा (iii) कार्यशील पूंजी **योग**	स्वयं की / किराये पर रू. रू. ..... रू.

	ब. प्रस्तावित वित्तीय प्रबंध (i) शासन द्वारा मार्जिन मनी (ii) आवेदक का अंशदान (iii) बैंक से अपेक्षित ऋणराशि **योग**	रू. रू. रू. रू.
9	**प्रस्तावित बैंक शाखा का नाम जहाँ हितग्राही अपना ऋण प्रकरण भेजना चाहता हो।**	
10	**उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो उसका विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें)**	
11	**पूर्व में शासन की ऐसी किसी योजना का लाभ लिया हो अथवा लाभ प्राप्त किया जा रहा हो तो उसका विवरण।**	
12	**अन्य कोई विवरण**	

आवेदक के हस्ताक्षर एवं

नाम

घोषणा

मैं .....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी ..... जिला जबलपुर राज्य मध्यप्रदेश एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा से निम्नानुसार अभिपुष्टि और घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि –

1/ मैं किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी या ग्रामीण बैंक का चूककर्ता/अशोधी नहीं हूं।

2/ मैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत बनाये गये नियमों का पालन करूंगा/करूंगी तथा मैं बैंक/सरकार द्वारा अपेक्षित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।

3/ आवेदन पत्र के बिंदु क्र. 1 से 12 तक दी गई जानकारी सत्य है एवं किसी भी जानकारी के असत्य पाये जाने पर प्रकरण निरस्त कर दिया जावेगा।

घोषणकर्ता के हस्ताक्षर

एवं नाम

सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विषयवस्तु मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

घोषणकर्ता के हस्ताक्षर

एवं नाम

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आवेदन में संलग्न किये जाने वाले सहपत्रों की सूची

1. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन । सी.ए. द्वारा प्रमाणित।

2. राशन कार्ड/स्थानीय निवास प्रमाण–पत्र/मतदाता पहचान–पत्र/ड्रायविंग लाईसेंस/ आधार कार्ड (कोई भी एक)

3. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र

4. जन्मतिथि संबंधी प्रमाण–पत्र

5. अन्य

निर्देश :– आवेदन पत्र के सभी कॉलम अनिवार्य रूप से भरे जावें तथा संलग्न किये गये दस्तावेज स्वप्रमाणित कर आवेदन के दो सेट तैयार कर प्रस्तुत किये जावें। अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

1. **योजना का नाम** : मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

2. **योजना का प्रारंभ** : 01 अगस्त, 2014

3. **योजना का उद्देश्यः** योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिये स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिनमनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जावेगा।

4. **योजना का क्रियान्वयनः** योजना के क्रियान्वयन हेतु वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग नोडल विभाग होगा तथा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से योजना को क्रियान्वित किया जावेगा।

5. **पात्रता** :

   5.1 योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।

   5.2 आवेदक :

      5.2.1 मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

      5.2.2 न्यूनतम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।

      5.2.3 आवेदन दिनांक को आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो।

      5.2.4 किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक /वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी (Defaulter) नहीं होना चाहिए।

      5.2.5 यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।

      5.2.6 सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।

   5.3 योजना केवल उद्योग /सेवा क्षेत्र के लिए ही होगी। व्यापारिक गतिविधियों को पात्रता नहीं होगी।

6. **वित्तीय सहायता** :

   6.1 इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रुपये 10 लाख से अधिकतम रुपये एक करोड़ होगी।

   6.2 इस योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत पर मार्जिनमनी सहायता 15 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 12 लाख) देय होगी।

6.3 इस योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान देय होगा।

6.4 इस योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी।

7. आवेदन प्रकिया :

7.1 आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अथवा बैंक में आवश्यक सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र निःशुल्क रहेगा।

7.2 सभी प्राप्त आवेदन पंजीबद्ध किये जावेंगे। अपूर्ण आवेदन पूर्ण करने हेतु आवेदक को सूचित किया जायेगा।

7.3 आवेदक द्वारा प्रस्तावित गतिविधि की डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित कर आवेदन के साथ संलग्न की जावेगी।

8. आवेदन पत्रों का निराकरण :

8.1 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा बैंक में प्राप्त आवेदन पत्र तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन योजनान्तर्गत गठित जिला टास्कफोर्स समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

8.2 आवेदन पत्रों निराकरण एवं समीक्षा के लिए निम्नानुसार जिला टास्कफोर्स समिति गठित होगी –

1. कलेक्टर	अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
3. जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक	सदस्य
4. कोई एक प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि	सदस्य
5. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम संस्थान, इन्दौर का प्रतिनिधि	सदस्य
6. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य
7. संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक/प्रतिनिधि	सदस्य
8. आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक कालेज के प्रतिनिधि	सदस्य
9. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य–सचिव

टीप:–आवश्यक होने पर कलेक्टर किसी भी विभाग/संस्था/बैंक के अधिकारी/ प्रतिनिधि को समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार बुला सकेंगे।

8.3 जिला टास्कफोर्स समिति की अनुशंसा उपरांत प्रकरणों को निराकरण हेतु बैंकों को अग्रेषित किया जावेगा।

8.4 उद्योग एवं सेवा संबंधी इकाई के लिए गारंटी, ऋण गारंटी निधि योजना (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फार माईक्रो एण्ड स्माल एंटरप्राईजेस) के माध्यम से दी जावेगी। अतः बैंक द्वारा किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी (collateral security) की मांग आवेदक से नहीं की जावेगी।

8.5 बैंकों को रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश अनुसार बैंक में प्रकरण प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर निराकरण किया जावेगा।

8.6 प्रकरण स्वीकृति के 15 दिवस के अन्दर बैंक के द्वारा ऋण वितरण (disbursement) प्रारंभ किया जावेगा।

8.7 योजना के सुचारू रूप से कियान्वयन तथा सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना, उद्यमियों की समस्याओं एवं अन्य विषय की समीक्षा जिला टास्कफोर्स समिति के द्वारा की जावेगी।

9. **<u>प्रशिक्षण</u>** :

9.1 योजना अन्तर्गत ऋण स्वीकृति के पश्चात उद्यमी के विकल्प पर उद्यमिता विकास प्रशिक्षण शासन के द्वारा दिया जावेगा। इस संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये जावेंगे।

9.2 उद्यमिता विकास कार्यक्रम में पूर्व प्रशिक्षित आवेदक को इस योजना अन्तर्गत पृथक से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा परन्तु आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

10 **मार्जिनमनी सहायता एवं ऋण अदायगी :**

10.1 परियोजना की पूंजीगत लागत पर 15 प्रतिशत (अधिकतम रु. 12 लाख) मार्जिनमनी सहायता हितग्राही को शासन की ओर से देय होगी तथा शेष मार्जिनमनी हितग्राही को स्वयं जमा करनी होगी।

10.2 आरंभिक स्थगन (moratorium) की न्यूनतम अवधि 6 माह होगी।

10.3 आरंभिक स्थगन (moratorium) के बाद, ऋण अदायगी 5 से 7 वर्षों के बीच होगी।

टीप– आस्थगन के संबंध में बैंकों के द्वारा प्रयास होगा कि वो अधिक से अधिक समय नियत करे लेकिन यह अवधि कम से कम 6 माह की अवश्य हो। अवधि के संबंध में बैंकों एवं हितग्राही द्वारा मिलकर तय किया जाना चाहिये और बैंकों के द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिये कि ऋण चुकाने की अवधि अधिक से अधिक हो अर्थात् 7 वर्ष तक हो।

11 **वित्तीय प्रवाह :–**

11.1 ऋण वितरण के पश्चात् एवं इकाई की स्थापना होने पर, परियोजना की पूंजीगत लागत पर बैंक शाखा द्वारा मार्जिनमनी सहायता एवं ब्याज अनुदान की राशि क्लेम किया जावेगा। इस हेतु प्रदेश के लीड़ बैंकों के राज्य स्तरीय मुख्यालय पर पूल एकाउंट (Pool Account) खोलकर राशि अग्रिम तौर पर संबंधित विभाग द्वारा जमा की जायेगी। बैंक योजनांतर्गत राशि की प्रतिपूर्ति, प्रकरण संबंधित नोडल बैंक को भेजकर प्राप्त कर सकेंगे।

11.2 उद्यमी द्वारा नियमित ऋण भुगतान किये जाने पर ब्याज अनुदान का क्लेम बैंकों द्वारा नोडल बैंक से त्रैमासिक आधार पर प्राप्त किया जायेगा।

11.3 ऋण गारंटी निधि योजना के अन्तर्गत गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति नोडल बैंक के माध्यम से संबंधित बैंक प्राप्त कर सकेंगे।

12 **विविध** :

12.1 योजना अंतर्गत भागीदारी के प्रकरणों पर विचार किया जा सकता है परंतु भागीदारी एक ही परिवार के सदस्य के बीच मान्य नहीं होगी। समस्त भागीदारों द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। सहायता उद्यम के मान से दी जायेगी।

12.2 औद्योगिक इकाईयों को शासन की उद्योग संवर्धन नीति (यथा संशोधित) में घोषित पूंजीगत लागत अनुदान तथा ब्याज अनुदान को छोड़कर अन्य सुविधाएं भी (पात्रता होने पर) प्राप्त हो सकेगी।

12.3 बैंक से आशय समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक से है, जो ऋण गारंटी निधि योजना (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फार माईक्रो एण्ड स्माल एंटरप्राईजेस) अंतर्गत मान्य हैं।

12.4 गलत/भ्रामक जानकारी अथवा गलत तरीके से सहायता प्राप्त करने पर हितग्राही के विरूद्ध दाण्डित कार्यवाही की जा सकेगी।

12.5 हितग्राही द्वारा ऋण/ब्याज के पुनर्भुगतान/भुगतान में डिफाल्ट करने की स्थिति में योजनांतर्गत पूर्व में दी गयी सहायता भू–राजस्व बकाया की तरह वसूली योग्य होगी तथा उक्त परिस्थिति में भविष्य में दी जाने वाली सहायता भी देय नहीं होगी।

12.6 जिला टास्कफोर्स समिति से प्राप्त संदर्भ राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी में विचार हेतु रखे जावेंगे।

12.7 योजना की व्याख्या/संशोधन हेतु वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग सक्षम होगा।

13 **परिभाषाएँ**:–

13.1 पूंजीगत लागत एवं कार्यशील पूंजी का योग परियोजना लागत है ।

13.2 परियोजना की स्थापना में हितग्राही के अशंदान तथा शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा, मार्जिनमनी सहायता कहलाती है।

13.3 परियोजना में उपयोग किये जाने वाले प्लांट एवं मशीनरी का मूल्य पूंजीगत लागत है।

13.4 क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फार माईक्रो एण्ड स्माल एंटरप्राईजेस योजना अन्तर्गत शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा गारंटी शुल्क कहलाती है।

13.5 उद्यम प्रारंभ करने के 6 माह पश्चात्, ऋण वसूली की कार्यवाही को आरंभिक स्थगन (moratorium) कहलाती है।

———